



INDIAN GRASSLAND AND FODDER RESEARCH INSTITUTE,  
Near Pahuj Dam, Gwalior Road, Jhansi-284003 (U.P.)



Fax No. 0510-2730833

Ph.No. 0510-2730908

फा.सं. 3-5/Str. Phy./Auction of Animal/16-17

दिनांक: 07.09.2017

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी के प्रक्षेत्र में जानवर **गाय एवं भैंस (नर/मादा)** जिसमें छोटे बड़े पशु सम्मिलित हैं, इनकी संख्या लगभग-112 है। पशुओं की संख्या घट-बढ़ सकती है। जानवरों (गाय-भैंस) की **नीलामी दिनांक 26.09.2017 को प्रातः 10.00 बजे से 3.00 बजे सांय तक सुनिश्चित** की गयी है। अतः इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त तिथि में समय से पहुंच कर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। सूचना एवं नियम/शर्तें संस्थान की वेबसाइट [www.igfri.res.in](http://www.igfri.res.in) पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यह सूचना सी.पी. पी. पोर्टल [\(Tender Id: 2017\\_ICAR\\_246767\\_1\)](http://eprocure.gov.in/epublish/app) पर भी उपलब्ध है।

**नीलामी की शर्तें**

1. नीलामी का कार्य निदेशक, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी द्वारा मनोनीत समिति के अधिकारी सम्पन्न करायेंगे। उनका अधिकार होगा कि यदि बोली बोलने वालों की संख्या 03 से कम होगी तो नीलामी अन्य किसी कार्य दिवस में की जायेगी, जिसकी सूचना बाद में दी जायेगी।
2. प्रत्येक बोली बोलने वाले को बड़े जानवर (गाय एवं भैंस) हेतु **रुपया 3000.00 की धरोहर राशि (Cash)** बयाना के रूप में नीलामी की बोली बोलने से पूर्व में जमा करनी होगी। सफल बोली बोलने वाले की यह धनराशि धरोहर राशि के रूप में रोक कर रखी जायेगी। बाकी की धरोहर राशि नीलामी के उपरान्त वापिस कर दी जायेगी।
3. सफल बोली की पूर्ण **धनराशि (100 प्रतिशत)** अनुमोदन की सूचना मिलने के तुरन्त बाद जमा करनी होगी अन्यथा उनकी बोली निरस्त मानी जायेगी एवं उनकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
4. इच्छुक बोली बोलने वाले व्यक्ति उक्त स्थल का निरीक्षण तथा आवश्यक जानकारी हेतु प्रभारी अधिकारी, पशु-धन प्रक्षेत्र से सम्पर्क कर सकते हैं। नीलामी के बाद जानकारी अनभिज्ञता के फलस्वरूप कोई भी दावा नहीं माना जायेगा।
5. सफल बोली (अधिकतम बोली) जिसके नाम से छूटेगी, अगर वह व्यक्ति पशु ले जाने से किसी कारणवश मना करता है तो उसकी जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. जानवरों की नीलामी करते समय किसी को आरक्षित मूल्य नहीं बताया जायेगा। आरक्षित मूल्य नीलामी की समाप्ति के बाद अनुरोध करने पर बताया जा सकता है।
7. निदेशक/ समिति को कोई भी अन्य शर्तें जो यहां पर अपूर्ण हैं सम्मिलित करने के अधिकारी होंगे।
8. धरोहर राशि जमा करने के पश्चात सभी बोली बोलने वालों को नीलामी की शर्तों से संबंधित सूचना पर हस्ताक्षर करने होंगे।
9. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को प्रक्षेत्र में प्रवेश और निकास संस्थान के सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये गेट पास जारी करने के पश्चात ही सम्भव होगा।
10. बिना कोई कारण बताये नीलामी को निरस्त करने का अधिकार इस संस्थान के निदेशक महोदय को होगा।
11. किसी भी परिस्थिति में पशुओं की नीलामी आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं की जायेगी।
12. नीलामी के पश्चात नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात उसी समय जानवरों को अपने साथ गेट पास लेकर ले जाना होगा, जानवरों को समय पर न ले जाने कि दशा में उनके रखरखाव व खाने का खर्च रूपया 150/प्रति दिन वसूला जा सकता है।
13. नीलामी की बोली के पश्चात जिसके नाम बोली होगी उसे लिखित में एक प्रमाण पत्र इस आशय से देना होगा कि इस गौवंश पशुओं को पशुपालन एवं कृषि कार्य के प्रयोग के लिये ले जा रहा हूँ तथा इनका मैं समुचित ध्यान रखूँगा। प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड या अन्य मान्य परिचय पत्र की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।

**Sd/-**

**इंचार्ज वरि. प्रशा. अधिकारी तथा कार्यालयध्यक्ष**

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी, ए. के. एम. यू. को इस आशय से प्रेषित किया जाता है कि विज्ञप्ति संस्थान की वेबसाइट में अपलोड करें।
2. सहा. प्रशा. अधिकारी (भंडार कय) को इस आशय के साथ प्रेषित किया जाता है कि यह विज्ञप्ति (सीपीपी) पोर्टल में भेजने का कष्ट करें।